

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना।

प्रेषक,

विशेष सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 01.10.2026

द्वारा- वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- सात निश्चय-3 के अन्तर्गत कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के संचालन हेतु दिनांक-12.08.2026 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-3291, दिनांक-19.08.2026 के तहत पारित कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के संचालन हेतु सात निश्चय 2 की अवधि के समाप्ति के समय कार्यरत 871 कुशल युवा कार्यक्रम के संचालकों को नामांकन के आधार पर एवं बिहार कौशल विकास मिशन के शासी निकाय द्वारा इसके निमित्त निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप संचालन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सात निश्चय-1 और 2 में युवाओं को रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से कुशल युवा कार्यक्रम संचालित किया गया था। दिनांक 12.08.2026 को कतिपय संशोधनों के साथ सात निश्चय-3 के अन्तर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन के निमित्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त हुयी। जिसमें सात निश्चय-1 और 2 के कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन कर रहे संचालकों एवं लर्निंग फॅसिलिटेटरों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया था।

2. बिहार कौशल विकास मिशन की शासी पर्वद की 22वीं बैठक के द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के मानक संचालन प्रक्रिया पर अनुमोदन दिया गया। सात निश्चय 2 की अवधि के समाप्ति के समय कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु 871 संचालक कार्यरत थे, जिसमें लर्निंग फॅसिलिटेटर कार्यरत थे। उन कार्यरत लर्निंग फॅसिलिटेटरों एवं छात्रों के हितों को दृष्टिगोचर रखते हुए बिहार कौशल विकास मिशन के शासी पर्वद द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के प्रशिक्षण हेतु उन्ही 871 संचालकों से नामांकन के आधार पर संचालन की अनुशंसा की गयी है।
3. सात निश्चय-3 के अन्तर्गत कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) के संचालन हेतु दिनांक-12.08.2026 को मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-3291, दिनांक-19.08.2026 के तहत पारित कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल

- मित्र) के संचालन हेतु सात निश्चय 2 की अवधि के समाप्ति के समय कार्यरत 871 कुशल युवा कार्यक्रम के संचालकों को नामांकन के आधार पर एवं बिहार कौशल विकास मिशन के शासी निकाय द्वारा इसके निमित्त निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप संचालन की स्वीकृति दी गयी है।
4. सात निश्चय- 1 एवं 2 के तहत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के निर्धारित दर के अनुरूप ही सात निश्चय -3 के तहत संचालन किये जाने वाले कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) हेतु राशि देय होगी।
 5. कुशल युवा कार्यक्रम (डिजिटल मित्र) हेतु केन्द्र का संचालन इसके निमित्त निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
 6. प्रस्ताव में मंत्रीपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
 7. इस संबंध में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्गत स्वीकृतिपत्र संख्या-BSDM/SDM-65/2022-3291/पटना, दिनांक-19.08.2026 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

विश्वासभाजन

विशेष सचिव,

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापक-BSDM/KYP-246/2026-3711.....पटना,

दिनांक-01.10.2026

प्रतिलिपि:- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/योजन एवं विकास विभाग (चार प्रतियां में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, के आप्त सचिव/सचिव युवा, रोजगार एवं कौशल विकास, विभाग के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास, विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव,

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापक-BSDM/KYP-246/2026-3711..... पटना,

दिनांक-01.10.2026

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/विभाग के सभी पदाधिकारी/आईटीआई में युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव,

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना।